

**राजस्थान सरकार**  
**कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर**  
 क्रमांक : एफ 7( )सहरिया/आश्रम छात्रा./सीटीएडी/2014-15 दिनांक:

अतिरिक्त कलक्टर एवं परियोजना अधिकारी,  
 सहरिया विकास परियोजना,  
 शाहबाद (बारां)।

विषय :- आश्रम छात्रावासों में रंग रोगन/मरम्मत कार्य एवं रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हेतु राशि हस्तांतरण की स्वीकृति।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा संचालित निम्नलिखित आश्रम छात्रावासों में रंगरोगन/मरम्मत कार्य एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम (रिचार्जिंग ग्राउण्ड वाटर) हेतु निम्नांकित तालिका के कॉलम संख्या-3 में वर्णित छात्रावासों हेतु कॉलम संख्या-5 में वर्णित राशि (Amt. 002 lac per student) की 50 प्रतिशत राशि के हस्तांतरण आदेश जारी किये जाते हैं-

क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	आश्रम छात्रावास का नाम	छात्र/ छात्रा क्षमता	मांग राशि (रूपये में)	हस्तांतरण हेतु राशि
1	2	3	4	5	6

क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	आश्रम छात्रावास का नाम	छात्र/ छात्रा क्षमता	मांग राशि (रूपये में)	हस्तांतरण हेतु राशि
1	बारां	सहरिया आश्रम छात्रावास बारां बालक	65	130000	65000
2	बारां	सहरिया आश्रम छात्रावास कन्या बारां	65	130000	65000
3	किशनगंज	सहरिया आश्रम छात्रावास भंवरगढ़ बालक	65	130000	65000
4	किशनगंज	सहरिया आश्रम छात्रावास बांसथूनी	50	100000	50000
5	किशनगंज	सहरिया आश्रम छात्रावास कन्या नाहरगढ़	50	100000	50000
6	किशनगंज	सहरिया आश्रम छात्रावास कन्या घट्टी	65	130000	65000
7	किशनगंज	सहरिया आश्रम छात्रावास बिलासगढ़	65	130000	65000
8	किशनगंज	सहरिया आश्रम छात्रावास कन्या रामगढ़	50	100000	50000
9	किशनगंज	सहरिया आश्रम छात्रावास बजरंगगढ़	40	80000	40000
10	किशनगंज	सहरिया आश्रम छात्रावास खण्डेला	25	50000	25000
11	किशनगंज	सहरिया आश्रम छात्रावास किशनगंज	65	130000	65000

कृ.म.श. - 2

10

		बालक			
12	किशनगंज	सहरिया आश्रम छात्रावास गरडा बालक	65	130000	65000
13	किशनगंज	सहरिया आश्रम छात्रावास जलवाडा	50	100000	50000
14	किशनगंज	सहरिया आश्रम छात्रावास रेलावन	50	100000	50000
15	शाहबाद	सहरिया आश्रम छात्रावास देवरी बालक	50	100000	50000
16	शाहबाद	सहरिया आश्रम छात्रावास चौराखाडी बालक	25	50000	25000
17	शाहबाद	सहरिया आश्रम छात्रावास खाण्डा सहरोल	25	50000	25000
18	शाहबाद	सहरिया आश्रम छात्रावास कस्बाधाना	40	80000	40000
19	शाहबाद	सहरिया आश्रम छात्रावास बमनगवां	50	100000	50000
20	शाहबाद	सहरिया आश्रम छात्रावास राजपुर	50	100000	50000
21	शाहबाद	सहरिया आश्रम छात्रावास कन्या समरानियां	50	100000	50000
22	शाहबाद	सहरिया आश्रम छात्रावास कन्या केलवाडा	65	130000	65000
23	शाहबाद	सहरिया आश्रम छात्रावास कन्या शाहबाद	65	130000	65000
24	शाहबाद	सहरिया आश्रम छात्रावास केलवाडा बालक	50	100000	50000
25	शाहबाद	सहरिया आश्रम छात्रावास हाटरी	25	50000	25000
26	शाहबाद	सहरिया आश्रम छात्रावास आगर	25	50000	25000
27	शाहबाद	सहरिया आश्रम छात्रावास शाहबाद	50	100000	50000
28	शाहबाद	सहरिया आश्रम छात्रावास समरानियां बालक	65	130000	65000
29	अटरू	सहरिया आश्रम छात्रावास अटरू बालक	50	100000	50000
योग :-			1455	2910000	1455000

संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में जनजातीय कार्यमंत्रालय भारत सरकार के स्वीकृति क्रमांक F.No. 11015/02/(20)/2020-Grants दिनांक 23.06.2020 (Capital Grants)- राशि रूपये 1117.00 लाख छात्रावासों में पर्यावरण सुधार हेतु राज्य सरकार को प्राप्त हुए हैं। उक्त प्राप्त राशि में से उपरोक्त तालिका के कॉलम संख्या 2 में वर्णित जिलों के कॉलम संख्या 3 में वर्णित आवासीय विद्यालय एवं आश्रम छात्रावासों में कॉलम संख्या 6 में वर्णित राशि ईसीएस के माध्यम से संबंधित वार्डन को राशि हस्तांतरित करने की स्वीकृति जारी की जाती है।

शर्तें-

1. यदि कोई कार्य अन्य किसी स्रोत से पूर्व की स्वीकृत हो गया हो तो अविलम्ब सूचित करें। यदि दोहरा व्यय होता है तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित वार्डन की रहेगी।
2. राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम, 2012, संशोधन 2013 एवं सामान्य लेखा व वित्तीय नियमों की पालना सुनिश्चित की जावे।

श्रे.मन्त्र 3

3. प्रस्तावित कार्य का वास्तविक तकमीना बनाया जावें एवं तकमीने के प्रत्येक आईटम र बी.एस.आर. का विवरण (बी.एस.आर. का विभाग वर्ष एवं आईटम क्रमांक) अंकित करावे। स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर तकमीने में कार्य स्थल का longitude & latitude अंकित की जावे।
4. यदि किसी आश्रम छात्रावास में पूर्व में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम (कुंओं का रिचार्ज करने हेतु) का निर्माण किया जा चुका है उसे तकनीकी स्वीकृति में शामिल नहीं करे।
5. हस्तांतरित राशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर द्वितीय किश्त की राशि हस्तांतरित की जायेगी।
6. उक्त व्यय की पंजिका संधारण करना होगा जिसे निरीक्षण के दौरान उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा। व्यय राशि की वर्ष के अन्त में राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किया जाना अनिवार्य होगा। अन्यथा राशि वसूली योग्य होगी।

—Scd—  
(डॉ. वृद्धिचन्द गर्ग) R.A.S.

अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम)

क्रमांक : एफ 7( ) सहरिया / आश्रम छात्रा. / सीटीएडी / 2014-15 दिनांक: 23/3/21  
प्रतिलिपि :- 11029-40

1. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. जिला कलक्टर, बारां।
4. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा को भेज कर लेख है कि संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के स्वीकृति क्रमांक F.No.11015/02/(20)/2020-Grants दिनांक 23.06.2020 (Capital Grants)- राशि रूपये 1117.00 लाख छात्रावासों में पर्यावरण सुधार हेतु राज्य सरकार को प्राप्त हुए है। उक्त प्राप्त राशि में से उपरोक्त तालिका के कॉलम संख्या 2 में वर्णित जिलों के कॉलम संख्या 3 में वर्णित आवासीय विद्यालय एवं आश्रम छात्रावासों में कॉलम संख्या 6 में वर्णित राशि ईसीएस के माध्यम से संबंधित वार्डन को राशि हस्तांतरित करने की स्वीकृति जारी की जाती है।
5. निदेशक मोनेटरिंग / कम्प्युटर शाखा, कार्यालय हाजा।
6. उपनिदेशक, शिक्षा कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है कि गुणवत्ता पूर्वक कार्य संपादित कराने हेतु संबंधित अधीक्षको को निर्देशित करावे।
7. अधीक्षक, आश्रम छात्रावास..... को भेज कर लेख है कि उक्त कार्यों की गुणवत्ता पूर्वक कराने की संपूर्ण जिम्मेदारी आपकी रहेगी।
8. गार्ड पत्रावली।

○  
अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम)